"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012 -2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186] रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 मई 2013—वैशाख 18, शक 1935

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-10/दो-गृह/न.से./2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर सेना, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 के खण्ड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
   "(ठ) "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है शारीरिक मापतौल तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा;
   (ड) "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार, किन्तु आरक्षक ट्रेडमेन को लिखित परीक्षा के स्थान पर ट्रेड टेस्ट देना होगा;
   (ढ) "आरक्षक बिगुलर, आरक्षक धोबी, आरक्षक नाई, आरक्षक टेलर एवं आरक्षक मोची" से अभिप्रेत है आरक्षक के समकक्ष पद।"

2. नियम 6 के उप-नियम (7) के खण्ड (दो) के उप-खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(दो) **लिखित परीक्षा**—(क) हिन्दी तथा अंग्रेजी में दक्षता का विनिश्चय करने हेतु **पलाटून कमांडर** के पद के लिये 100 अंक की लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसकी अवधि **दो घंटे की** होगी, जिसमें क्रमशः 70 अंक हिन्दी के लिए तथा 30 अंक अंग्रेजी के लिए होंगे।"

3. नियम 6 के उप-नियम (7) के खण्ड (दो) के उप-खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(ग) लिखित परीक्षा का आयोजन या तो विभागीय आधार पर या शासन द्वारा नियुक्त/प्राधिकृत अन्य एजेंसी द्वारा किया जा सकेगा।

(घ) आरक्षक ट्रेडमेन के पदों में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना आवश्यक होगा किन्तु वे लिखित परीक्षा से मुक्त रहेंगे।"

4. नियम 6 के उप-नियम (7) की टीप में, शब्द "योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट)" के स्थान पर शब्द "वरीयता सूची" प्रतिस्थापित किया जाये।

5. नियम 6 के उप-नियम (7) के खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(तीन) **शारीरिक दक्षता परीक्षा** :—शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। यह 100 अंकों की होगी और इस परीक्षा (टेस्ट) में निम्नलिखित प्रतिस्पर्धायें सम्मिलित होंगी, अर्थात् :—

(एक) प्लाटून कमांडर के पद हेतु प्रतिस्पर्धायें :—

(क) लंबी कूद	—	20 अंक
(ख) ऊंची कूद	—	20 अंक
(ग) गोला फेंक	—	20 अंक
(घ) 100 मीटर दौड़	—	20 अंक
(ङ) 1500 मीटर दौड़	—	20 अंक

(दो) हवलदार अनुदेषक एवं आरक्षक के पद हेतु प्रतिस्पर्धायें :—

(क) लंबी कूद	—	20 अंक
(ख) ऊंची कूद	—	20 अंक
(ग) गोला फेंक	—	20 अंक
(घ) 100 मीटर दौड़	—	20 अंक
(ङ) 800 मीटर दौड़	—	20 अंक

प्रत्येक प्रतिस्पर्धा में दिये जाने वाले अंकों का विस्तृत विवरण, अनुसूची-छः में विनिर्दिष्ट है।

(तीन) आरक्षक के समकक्ष पदों के लियेः—

पुरूष अभ्यर्थियों को 05 किमी की दौड़/चाल को 40 मिनट में पूर्ण करना होगा तथा महिला अभ्यर्थियों को 05 किमी की दौड़/चाल को एक घंटे में पूर्ण करना होगा, तब ही वे अर्ह माने जायेंगे। यह अर्ह प्रतिस्पर्धा (क्वालिफाईंग इवेंट) होगी और इसलिये इस प्रतिस्पर्धा के लिये कोई अंक निर्धारित नहीं किये गये हैं।

टीपः— (1) प्लाटून कमांडर के पद के लिये अभ्यर्थी को लंबी कूद, ऊंची कूद एवं गोला फेंक प्रतिस्पर्धा में तीन अवसर दिये जायेंगे।

(2) हवलदार अनुदेशक एवं आरक्षक के पद के लिये अभ्यर्थी को उपरोक्त सभी प्रतिस्पर्धाओं के लिये केवल एक अवसर दिया जायेगा।

(3) सभी पदों के लिये, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 60 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(4) प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर, कोई भी अभ्यर्थी चयन समिति के समक्ष अपील कर सकेगा, जिसका विनिश्चय तत्काल किया जायेगा और उस पर समिति का निर्णय अंतिम होगा।"

6. नियम 6 के उप–नियम (7) के खण्ड (चार) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(चार) साक्षात्कारः— व्यक्तिगत साक्षात्कार, प्लाटून कमांडर के पद हेतु 50 अंको का होगा, हवलदार अनुदेशक एवं आरक्षक पद हेतु 25 अंकों का होगा। आरक्षक के समकक्ष पद हेतु 15 अंको का होगा।"

7. नियम 8 के उप–नियम (2) के खण्ड (क) एवं (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

" **प्लाटून कमांडर– प्लाटून कमांडर के पद हेतु अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें होनी चाहिये:–**

(क) ऊंचाई: 168 सेमी या उससे अधिक (पुरूष अभ्यर्थियों के लिये)

153 सेमी या उससे अधिक (केवल महिलाओं के लिए)

(घ) अभ्यर्थी में "नॉक नी", "फ्लैट फुट" नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों को चिकित्सीय आधार पर योग्य होना चाहिये। अभ्यर्थी में कोई दृष्टिदोष नही होना चाहिये। आंखों की दृष्टि बिना चश्में के एक आंख की 6/6 तथा दूसरी आंख की बिना चश्में के 6/9 से कम नहीं होनी चाहिये। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिये ।

हवलदार अनुदेषक, आरक्षक पद एवं आरक्षक के समकक्ष पदों के लिए:–

(अ) ऊंचाई:– 168 से.मी. या उससे अधिक (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग संवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये); 153 से.मी. या उससे अधिक (राजस्व जिले दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोरिया, सरगुजा एवं जशपुर के अनुसूचित जनजाति संवर्ग की महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों के लिए); 158 से. मी या उससे अधिक शेष राजस्व जिलों के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों तथा सभी संवर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिये)।

(ब) **सीना:–** बिना फुलाए 81 से.मी. (अनुसूचित जनजातियों के लिए 76 से.मी.); फुलाने पर 86 से.मी. (अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 81 से.मी.), 5 से. मी. सीना फुलाना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थी, इस शारीरिक योग्यता से मुक्त रहेंगी।

(स) अभ्यर्थी में "नॉक नी", "फ्लैट फुट" नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों को चिकित्सीय आधार पर योग्य होना चाहिये। अभ्यर्थी में कोई दृष्टिदोष नही होना चाहिये। आंखों की दृष्टि बिना चश्में के एक आंख की 6/9 तथा दूसरी आंख की

6/12 से कम नहीं होनी चाहिये। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिये।"

8. नियम 8 के खण्ड (4) के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।"

9. नियम 12 के उप–नियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(6) (क) सीधी भर्ती के लिए अंतिम वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट) लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा साक्षात्कार में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ख) प्लाटून कमांडर के पद के लिये वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट) कुल 350 अंकों, अर्थात् लिखित परीक्षा के लिये 200 अंक, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये 100 अंक तथा साक्षात्कार के लिये 50 अंक, के आधार पर तैयार की जायेगी; तथा हवलदार अनुदेशक तथा आरक्षक के पद के लिये वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट) कुल 225 अंकों, अर्थात् लिखित परीक्षा के लिये 100 अंक, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये 100 अंक तथा साक्षात्कार के लिये 25 अंक, के आधार पर तैयार की जायेगी।

आरक्षक के समकक्ष पदों के लिये वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट) कुल 115 अंकों, अर्थात् ट्रेड टेस्ट के लिये 100 अंक तथा साक्षात्कार के लिये 15 अंक, के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ग) एक समान अंक अभिप्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की वरिष्ठता, उनके जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित की जायेगी। अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरिष्ठ माना जायेगा। यदि जन्म तिथि एवं अभिप्राप्त अंक समान हो, तो उनके पंजीयन के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।"

10. अनुसूची–एक, दो, तीन, चार तथा छः के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिए)
सेवा का वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क्र.	पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	1. कंपनी कमांडर	32	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	रू. 9300–34800	4300	
	2. सहायक क्वार्टर मास्टर	01	–तदैव–	रू. 9300–34800	4300	
	3. प्रशासनिक अधिकारी (कंपनी कमांडर)	01	–तदैव–	रू. 9300–34800	4300	
	4. क्वार्टर मास्टर (कम्पनी कमाण्डर)	01	–तदैव–	रू. 9300–34800	4300	
	पदो की कुल संख्या	**35**	–	–	–	–
2.	प्लाटून कमाण्डर	47	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	रू. 5200–20200	2800	
3	सहायक उप–निरीक्षक	02	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	रू. 5200–20200	2400	
4.	1. हवलदार अनुदेशक	52	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	रू. 5200–20200	2200	
	2. हवलदार स्टोरमेन	20	–तदैव–	रू. 5200–20200	2200	
	3. हवलदार	01	–तदैव–	रू. 5200–20200	2200	
	4. नायक	02	–तदैव–	रू. 5200–20200	2200	
	पदों की कुल संख्या	**75**	–	–	–	–
5.	आरक्षक के समकक्ष पद	44	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	रू. 5200–20200	1800	

	एक) आरक्षक (बिगुलर)	01	–तदैव–	रू. 5200–20200	1800	
	दो) आरक्षक (धोबी)	01	–तदैव–	रू. 5200–20200	1800	
	तीन) आरक्षक (नाई)	01	–तदैव–	रू. 5200–20200	1800	
	चार) आरक्षक (टेलर)	01	–तदैव–	रू. 5200–20200	1800	
	पांच) आरक्षक (मोची)	01	–तदैव–	रू. 5200–20200	1800	
	पदों की कुल संख्या	**49**	–	–	–	–

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती की प्रक्रिया

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(क) देखिए)	सेवा के स्थायी सदस्यों द्वारा (नियम 6(ख) देखिए)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा (नियम 6(ग) देखिए)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गृह (पुलिस) विभाग	छत्तीसगढ़ नगर सेना तृतीय श्रेणी कार्यपालिक सेवा					
	(1) कंपनी कमांडर एवं समकक्ष पद	35	—	100%	—	—
	(2) प्लाटून कमांडर एवं समकक्ष पद	47	90% सामान्य अभ्यर्थियों के लिए	4% ए.एस.आई. से तथा 6% लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति से (अनुसूची—पांच के अनुसार)	—	
	(3) सहायक उप निरीक्षक	02	—	100%	—	—
	(4) हवलदार अनुदेशक एवं समकक्ष पद	75				(1) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले 75% पद, उन स्वयंसेवी नगर सैनिकों, जिन्होंने कम से कम 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, से भरे जायेंगे ।
	एक) हवलदार अनुदेशक	52	75%	25%	—	

	दो) हवलदार स्टोरमेन तीन) हवलदार चार) नायक	20 01 02				(2) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले 25% पद, आरक्षक एवं समकक्ष पद से भरे जायेंगे।
	(5) आरक्षक	44	80%	20%	–	(1) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले 80% पद, उन स्वयंसेवी नगर सैनिको, जिन्होंने कम से कम 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, से भरे जायेंगे। (2.) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले 20% पद, चतुर्थ श्रेणी से भरे जायेंगे।
	(6) आरक्षक के समकक्ष पद (एक) आरक्षक बिगुलर (दो) आरक्षक धोबी (तीन) आरक्षक नाई (चार) आरक्षक टेलर (पांच) आरक्षक मोची	05 01 01 01 01 01	 100% 100% 100% 100% 100%			प्रत्येक ट्रेड में केवल एक पद स्वीकृत हैं, अतएव इन सभी पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

अनुसूची–तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए आयु एवं शैक्षणिक अर्हता

स. क्र.	सेवा का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	छत्तीसगढ़ नगर सेना तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	(1) प्लाटून कमांडर एवं समकक्ष पद	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविघालय से स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष।
2	–तदैव–	(2) हवलदार अनुदेशक एवं समकक्ष पद	21 वर्ष	35 वर्ष	छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश राज्य में स्थित विद्यालय/महाविद्यालय से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वी कक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
3	–तदैव–	(3) आरक्षक	21 वर्ष	35 वर्ष	छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश राज्य में स्थित विद्यालय/महाविद्यालय से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वी कक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी, जो कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण हों, भी पात्र होंगे)
4	–तदैव–	(4) आरक्षक के समकक्ष पद (एक) आरक्षक बिगुलर (दो) आरक्षक धोबी (तीन) आरक्षक नाई (चार) आरक्षक टेलर (पांच) आरक्षक मोची	 21 वर्ष 21 वर्ष 21 वर्ष 21 वर्ष 21 वर्ष	 35 वर्ष 35 वर्ष 35 वर्ष 35 वर्ष 35 वर्ष	छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश राज्य में स्थित विद्यालय/महाविद्यालय से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वी कक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी, जो कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण हों, भी पात्र होंगे) (2) संबंधित ट्रेड में दक्षता।

अनुसूची—चार
(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि	पदोन्नति की प्रक्रिया अथवा चयन प्रक्रिया	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गृह (पुलिस) विभाग	(1) प्लाटून कमांडर एवं समकक्ष पद	कंपनी कमांडर एवं समकक्ष पद	5 वर्ष	ज्येष्ठता—सह—उपयुक्तता	1. महानिरीक्षक, नगर सेना/अतिरिक्त प्रधान सेनानी —अध्यक्ष 2. सीनियर स्टॉफ ऑफीसर अथवा समकक्ष पद —सदस्य 3. संभागीय सेनानी अथवा समकक्ष —सदस्य (महानिदेशक द्वारा नामांकित) 4. जूनियर स्टॉफ ऑफीसर अथवा समकक्ष — सदस्य
	(2) सहायक उप निरीक्षक एवं समकक्ष	प्लाटून कमांडर एवं समकक्ष पद	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—
	(3) हवलदार अनुदेशक एवं समकक्ष पद	सहायक उप निरीक्षक	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—
	(4) आरक्षक एवं समकक्ष पद	हवलदार अनुदेशक एवं समकक्ष पद	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—
	एक) आरक्षक बिगुलर	—तदैव—	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—
	दो) आरक्षक धोबी	—तदैव—	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—
	तीन) आरक्षक नाई	—तदैव—	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—
	चार) आरक्षक टेलर	—तदैव—	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—
	पांच) आरक्षक मोची	—तदैव—	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—
	(5) चतुर्थ श्रेणी सेवा	आरक्षक एवं समकक्ष पद	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—

टीप – (1) यदि विभागीय पदोन्नति समिति के अध्यक्ष को छोड़कर, समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य न हो, ऐसी दशा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के एक अधिकारी को समिति में, समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जायेगा और पदोन्नति समिति की सदस्यता में वृद्धि किया जायेगा।

(2) ट्रेड आरक्षक के लिए ट्रेड परीक्षा (टेस्ट) के आयोजन के लिये, ट्रेड कार्य के बेहतर जानकार एक कर्मचारी को अध्यक्ष द्वारा सदस्य के रूप में नामांकित किया जायेगा।

अनुसूची—छः

(नियम 6 के उप—नियम (7) देखिये)

(प्लाटून कमाण्डर के पद के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा)

स.क्र.	प्रतिस्पर्धा (इवेन्ट) पुरूष अभ्यर्थी	अंक	प्रतिस्पर्धा (इवेन्ट) महिला अभ्यर्थी	अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क	लम्बी कूद (तीन प्रयास)	20	लम्बी कूद (तीन प्रयास)	20
	14 फिट (4.27 मीटर) से कम	00	10 फिट (3.05 मीटर) से कम	00
	14 फिट (4.27 मीटर)	04	10 फिट (3.05 मीटर)	04
	16 फिट (4.88 मीटर)	08	12 फिट (3.66 मीटर)	08
	17 फिट (5.08 मीटर)	12	13 फिट (3.96 मीटर)	12
	18 फिट (5.49 मीटर)	16	14 फिट (4.27 मीटर)	16
	19 फिट (5.79 मीटर) या अधिक	20	15 फिट (4.57 मीटर) या अधिक	20
ख	ऊंची कूद (तीन प्रयास)	20	ऊंची कूद (तीन प्रयास)	20
	4 फिट 02 इंच (1.27 मीटर) से कम	00	3 फिट 02 इंच (0.97 मीटर) से कम	00
	4 फिट 02 इंच (1.27 मीटर)	04	3 फिट 02 इंच (0.97 मीटर)	04
	4 फिट 04 इंच (1.32 मीटर)	08	3 फिट 04 इंच (1.02 मीटर)	08
	4 फिट 06 इंच (1.37 मीटर)	12	3 फिट 06 इंच (1.07 मीटर)	12
	4 फिट 08 इंच (1.42 मीटर)	16	3 फिट 08 इंच (1.12 मीटर)	16
	04 फिट 10इंच (1.47मीटर) या अधिक	20	3 फिट 10इंच (1.17 मीटर) या अधिक	20
ग	गोला फेंक (तीन प्रयास) वजन 16 पौंड	20	गोला फेंक (तीन प्रयास) वजन 8 पौंड	20
	5 मीटर से कम	00	5 मीटर से कम	00
	5 मीटर	04	5 मीटर	04
	6 मीटर	08	6 मीटर	08
	7 मीटर	12	7 मीटर	12
	8 मीटर	16	8 मीटर	16
	9 मीटर या अधिक	20	9 मीटर या अधिक	20
घ	100 मीटर दौड़ (एक प्रयास	20	100 मीटर दौड़ (एक प्रयास)	20
	12 सेकेण्ड या कम	20	14 सेकेण्ड या कम	20
	13 सेकेण्ड	16	15 सेकेण्ड	16
	14 सेकेण्ड	12	16 सेकेण्ड	12
	15 सेकेण्ड	08	17 सेकेण्ड	08
	16 सेकेण्ड	04	18 सेकेण्ड	04
	16 सेकेण्ड से अधिक	00	18 सेकेण्ड से अधिक	00
ङ	1500 मीटर दौड (एक प्रयास)	20	1500 मीटर दौड़ (एक प्रयास)	20
	5 मिनट या कम	20	6 मिनट या कम	20
	5 मिनट 10 सेकेण्ड	16	6 मिनट 10 सेकेण्ड	16
	5 मिनट 20 सेकेण्ड	12	6 मिनट 20 सेकेण्ड	12
	5 मिनट 30 सेकेण्ड	08	6 मिनट 30 सेकेण्ड	08
	5 मिनट 40 सेकेण्ड	04	6 मिनट 40 सेकेण्ड	04
	5 मिनट 40 सेकेण्ड से अधिक	00	6 मिनट 40 सेकेण्ड से अधिक	00

अनुसूची–छः
(नियम 6 के उप–नियम (7) देखिये)
(हवलदार अनुदेशक एवं आरक्षक पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा)

स.क्र.	प्रतिस्पर्धा (इवेन्ट) पुरूष अभ्यर्थी	अंक	प्रतिस्पर्धा (इवेन्ट) महिला अभ्यर्थी	अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क	लम्बी कूद (एक प्रयास)	20	लम्बी कूद (एक प्रयास)	20
	14 फिट (3.66 मीटर) से कम	00	10 फिट (3.05 मीटर) से कम	00
	14 फिट (4.27 मीटर)	04	10 फिट (3.05 मीटर)	04
	16 फिट (4.88 मीटर)	08	12 फिट (3.66 मीटर)	08
	17 फिट (5.18 मीटर)	12	13 फिट (3.96 मीटर)	12
	18 फिट (5.49 मीटर)	16	14 फिट (4.27 मीटर)	16
	19 फिट (5.79 मीटर) या अधिक	20	15 फिट (4.57 मीटर) या अधिक	20
ख	ऊंची कूद (एक प्रयास)	20	ऊंची कूद (एक प्रयास)	20
	4 फिट 02 इंच (1.27 मी) से कम	00	3 फिट 02 इंच (0.97 मी) से कम	00
	4 फिट 02 इंच (1.27 मीटर)	04	3 फिट 02 इंच (0.97 मीटर)	04
	4 फिट 04 इंच (1.32 मीटर)	08	3 फिट 04 इंच (1.02 मीटर)	08
	4 फिट 06 इंच (1.37 मीटर)	12	3 फिट 06 इंच (1.07 मीटर)	12
	4 फिट 08 इंच (1.42 मीटर)	16	3 फिट 08 इंच (1.12 मीटर)	16
	04फिट 10इंच (1.47मीटर) या अधिक	20	3फिट 10इंच (1.17 मीटर) या अधिक	20
ग	गोला फेंक (एक प्रयास) वजन 16 पौंड	20	गोला फेंक (एक प्रयास) वजन 08 पौंड	20
	5 मीटर से कम	00	5 मीटर से कम	00
	5 मीटर	04	5 मीटर	04
	6 मीटर	08	6 मीटर	08
	7 मीटर	12	7 मीटर	12
	8 मीटर	16	8 मीटर	16
	9 मीटर या अधिक	20	9 मीटर या अधिक	20
घ	100 मीटर दौड़ (एक प्रयास)	20	100 मीटर दौड़ (एक प्रयास)	20
	12 सेकेण्ड या कम	20	14 सेकेण्ड या कम	20
	13 सेकेण्ड	16	15 सेकेण्ड	16
	14 सेकेण्ड	12	16 सेकेण्ड	12
	15 सेकेण्ड	08	17 सेकेण्ड	08
	16 सेकेण्ड	04	18 सेकेण्ड	04
	16 सेकेण्ड से अधिक	00	18 सेकेण्ड से अधिक	00
ङ	800 मीटर दौड़ (एक प्रयास)	20	800 मीटर दौड़ (एक प्रयास)	20
	2 मिनट या कम	20	2 मिनट 30 सेकेण्ड या कम	20
	2 मिनट 15 सेकेण्ड	16	2 मिनट 45 सेकेण्ड	16
	2 मिनट 30 सेकेण्ड	12	3 मिनट	12
	2 मिनट 45 सेकेण्ड	08	3 मिनट 15 सेकण्ड	08
	3 मिनट	04	3 मिनट 30 सेकेण्ड	04
	3 मिनट से अधिक	00	3 मिनट 30 सेकेण्ड से अधिक	00

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 8 मई 2013

क्रमांक एफ 13-10/दो-गृह/न.से./2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-10/दो-गृह/न.से./2008 दिनांक 08-05-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 8th May 2013

NOTIFICATION

No. F 13-10/Two-Home/H.G./2008.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Home Guards Class-III (Executive) Service Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. After clause (k) of rule 2, the following shall be added, namely :—

"(l) "First phase" means the Physical Measurement and Physical Efficiency Test;

(m) "Second phase" means the written Examination and Interview, but constable Tradesman shall have to give Trade Test instead of written examination;

(n) "Constable Bugler, Constable Washer Man, Constable Barber, Constable Tailor and Constable Cobbler" means the post equivalent to Constable."

2. For sub-clause (a) of clause (ii) of sub-rule (7) of rule 6, the following shall be substituted, namely :—

"(ii) **Written examination**— (a) To decide the proficiency in Hindi and English a written examination of 100 marks shall be conducted for the post of Platoon Commander, which shall be of two hours duration in which 70 marks shall be for Hindi and 30 marks for English respectively."

3. After sub-clause (b) of clause (ii) of sub-rule (7) of rule 6, the following shall be added, namely :—

"(c) The written examination may be conducted either on departmental basis or by other agency appointed/authorized by the Government.

(d) It shall be mandatory for the candidates appointing for the post of Constable Tradesman to appear in Physical Efficiency Test but they shall be exempted from written examination."

4. In note of sub-rule (7) of rule 6, for the words "merit list" the words "qualifying list" shall be substituted.

5. For clause (iii) of sub-rule (7) of rule 6, the following shall be substituted, namely:-

"(iii) Physical Proficiency Test:- Physical proficiency test shall be compulsory for all candidates. This shall be of 100 marks and the following events shall be included in this test, namely:-

(i) Events for the post of Platoon Commander :-

(a)	Long Jump	-	20 Marks
(b)	High Jump	-	20 Marks
(c)	Shot Put	-	20 Marks
(d)	100 Meters Race	-	20 Marks
(e)	1500 Meters Race	-	20 Marks

(ii) Events for the post of Havaldar Instructor and Constable :-

(a)	Long Jump	-	20 Marks
(b)	High Jump	-	20 Marks
(c)	Shot Put	-	20 Marks
(d)	100 Meters Race	-	20 Marks
(e)	800 Meters Race	-	20 Marks

Details of statement of marks to be awarded in each events are specified in Schedule-VI.

(iii) For the posts equivalent to Constable:-

Male candidates have to complete 05 km run/walk in 40 minutes and women candidates have to complete 05 km run/walk in one hour, only then they shall be considered qualified. This is a qualifying event and therefore no marks have been prescribed for this events.

Note :- (1) The Candidates for the post of Platoon Commander shall be given three chances in the event of Long Jump, High Jump and Shot Put.

(2) The candidates for the post of Havaldar Instructor and Constable shall be given only one chance for all the above said events.

(3) It shall be mandatory for the candidates of General Category to obtain 60 percent marks and the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes to obtain 50 percent marks in proficiency test for all the posts.
(4) On being dissatisfied with the valuation a candidate may appeal before the Selection Committee, which shall decide the same immediately and the decision of the committee shall be final."

6. For clause (iv) of sub-rule (7) of rule 6, the following shall be substituted, namely:-

"(iv) **Interview:-** Personal interview shall be of 50 marks for the post of Platoon Commander, 25 marks for the post of Havaldar Instructor and Constable and 15 marks for the post equivalent to constable.

7. For clause (a) and (d) of sub-rule (2) of rule 8, the following shall be substituted, namely:-

"**Platoon Commander** - Candidates for the post of Platoon Commander must have the following physical fitness:-

(a)Height: 168 cms. or more (for male candidates)
153 cm or more (for women candidates only)

(d) Candidates should not have "knock knee", "Flat Foot". Candidates should be medically fit. Candidates should not have any vision defect. Vision of eyes without spectacle should not be less than 6/6 of one eye and 6/9 of the other eye. Candidates should be able to differentiate between main colours.

Havaldar Instructor, Constable and for the posts equivalent to Constable:-

(a) **Height :-**168 c.m. or more (for the male candidates of General Category, Scheduled Castes and Other Backward Classes category); 153 c.m. or more (for the female and male candidates of Scheduled Tribes Category of Revenue Districts of South Bastar, Dantewada, Narayanpur, Bijapur, Bastar, North Bastar, Kanker, Koria, Sarguja and Jashpur); 158 c.m. or more (for the male candidates of Scheduled Tribes category and for the female candidates of all categories of remaining Revenue Districts.)

(b) Chest :- 81 c.m. without expansion (76 c.m. for Scheduled Tribes); 86 c.m. on expansion (81 c.m. for Scheduled Tribes candidates) expansion of 5 c.m. is compulsory. Female candidates shall be exempted from this physical fitness.

(c) Candidates should not have "knock knee", "Flat Foot". Candidates should be medically fit. Candidates should not have any vision defect. Vision of eyes without spectacle should not be less than 6/9 of one eye and 6/12 of the other eye. Candidates should be able to differentiate between main colours."

8. After clause (4) of rule 8, the following shall be added, namely:-

" (5) No candidate shall be eligible for appointment who has more than two living children, out of whom one has been born on or after 26 January 2001."

9. After sub-rule (5) of rule 12, the following shall be added, namely:-

"(6) (a) The final merit list for Direct Recruitment shall be prepared on the basis of marks obtained in written examination, Physical Proficiency Test and Interview.

(b) The merit list for the post of Platoon Commander shall be prepared on the basis of total 350 marks i.e. 200 marks for written examination, 100 marks for Physical Proficiency Test, and 50 marks for interview; and the merit list for the post of Havaldar Instructor and Constable shall be prepared on the basis of total 225 marks i.e. 100 marks for written examination, 100 marks for Physical Proficiency Test and 25 marks for interview.

The merit list for posts equivalent to Constable shall be prepared on the basis of total 115 marks i.e. 100 marks for Trade Test and 15 marks for interview.

(c) Seniority of the candidates obtaining equal marks shall be determined on the basis of date of birth. Older candidate shall be considered as senior. In case date of birth and marks obtained are same, the seniority shall be determined on the basis of their registration."

10. For Schedule-I, II, III, IV and VI, the following shall be substituted, namely:-

"**SCHEDULE - I**
(See Rule 5)

Classification, Pay Band, Grade Pay of Service and the Number of Posts included in the Service

S. No.	Name of the Posts	Number of Posts	Classification	Pay Band	Grade Pay	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	1. Company Commander	32	Class-III (Executive)	Rs. 9300-34800	4300	
	2. Assistant Quarter master	01	--do--	Rs. 9300-34800	4300	
	3. Administrative officer (Company commander)	01	--do--	Rs. 9300-34800	4300	
	4.Quarter Master (Company Commander)	01	--do--	Rs. 9300-34800	4300	
	Total Number of posts	**35**	-	-	-	-
2.	Platoon commander	47	Class-III (Executive)	Rs. 5200-20200	2800	
3.	Assistant Sub-Inspector	02	Class-III (Executive)	Rs. 5200-20200	2400	
4.	1. Havaldar Instructor	52	Class-III (Executive)	Rs. 5200-20200	2200	
	2. Havaldar Storeman	20	--do--	Rs. 5200-20200	2200	
	3. Havaldar	01	--do--	Rs. 5200-20200	2200	
	4. Naik	02	--do--	Rs. 5200-20200	2200	
	Total Number of Posts	**75**	-	-	-	-
5.	Post equivalent to Constable	44	Class-III (Executive)	Rs. 5200-20200	1800	
	i) Constable (Bugler)	01	--do--	Rs. 5200-20200	1800	
	ii) Constable (Washerman)	01	--do--	Rs. 5200-20200	1800	
	iii) Constable (Barber)	01	--do--	Rs. 5200-20200	1800	
	iv) Constable (Tailor)	01	--do--	Rs. 5200-20200	1800	
	v) Constable (Cobbler)	01	--do--	Rs. 5200-20200	1800	
	Total Number of Posts	49	-	-	-	-

SCHEDULE - II
(See Rule- 6)
Procedure of Recruitment

Name of the Department	Name of the Service	Total Number of Duty Posts	Percentage of the number of posts to be filled-in			Remarks
			By Direct Recruitment [See Rule 6(a)]	By Permanent Members of the service [See Rule-6 (b)]	By Temporary Transfer of persons from other service [See Rule-6 (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Department of Home Affairs (Police)	Chhattisgarh Home Guards Class-III Executive Service					
	(1) Company Commander and equivalent post	35	-	100 %	-	-
	(2) Platoon Commander and equivalent Post	47	90 % for General Candidates	4% From ASI and 6% from the appointment of Clerk Grade employees (As per Schedule-V	-	
	(3) Assistant Sub-Inspector	02	-	100 %	-	
	(4) Havaldar Instructor and Equivalent post (i) Havaldar Instructor (ii) Havaldar Storeman (iii)Havaldar (iv)Naik	75 52 20 01 02	75 %	25 %	-	**(1)** 75% posts to be filled by Direct Recruitment shall be filled by those Volunteer Home Guards who have rendered a minimum of 6 years service. **(2)** 25 % posts to be filled. by Promotion shall be filled from constable and equivalent post.
	(5) Constable	44	80 %	20 %	-	**(1)** 80 % posts to be filled by Direct Recruitment shall be filled by those Volunteer Home Guards who have rendered a minimum of 6 years service. **(2)** 20 % posts to be filled by Promotion shall be filled from Class-IV.
	(6) Post Equivalent to Constable (i) Constable Bugler (ii) constable washerman (iii) Constable Barber (iv) Constable	05 01 01 01 01	 100% 100% 100% 100%			All these posts shall be filled by Direct Recruitment as there is only one sanctioned post in each trade.

	Tailor (v) Constable Cobbler	01	100%			

SCHEDULE - III

(See Rule 8)

Educational Qualifications and Age for Direct Recruitment

Sl. No.	Name of the Service	Name of the posts included in the service	Minimum age limit	Upper age limit	Educational Qualifications prescrived
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Chhattisgarh Home Guards Class-III (Executive)	(1) Platoon commander and Equivalent post	21 Years	35 years	Bachelors Degree or its equivalent from any recognized University.
2	-do-	(2) Havaldar Instructor and equivalent post	21 Years	35 Years	Should have passed 10th class or Higher Secondary or equivalent examination under (10+2) system from School/ College located in Chhattisgarh/ Madhya Pradesh State.
3	-do-	(3) Constable	21 Years	35 Years	Should have passed 10th class or Higher Secondary or equivalent examination under (10+2) system from School/ College located in Chhattisgarh/ Madhya Pradesh State. (Only Scheduled Tribes Candidates having passed 8th class shall also be eligible.)
4	-do-	(4) Post equivalent to Constable (i) Constable Bugler (ii) Constable Washerman (iii)Constable Barber (iv) Constable Tailor (v) Constable Cobbler	 21 Years 21 Years 21 Years 21 Years 21 Years	 35 Years 35 Years 35 Years 35 Years 35 Years	(1) Should have passed 10th class or Higher Secondary or equivalent examination under (10+2) system from School/ College located in Chhattisgarh/ Madhya Pradesh State. (Only Scheduled Tribes Candidates having passed 8th class shall also be eligible.) (2)Proficiency in the concerned Trade.

SCHEDULE - IV
(See Rule 14)

Name of the Dept.	Name of the Service or post from which Promotion is to be made	Name of the service or post to which promotion is to be made	Duration of Service for promotion	Procedure of Promotion or Selection Procedure	Name of the members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dept. of Home Affairs (Police)	(1) Platoon commander and Equivalent post	Company Commander and Equivalent post	5 years	Seniority-cum-suitability (Fitness)	1. Inspector General, Home Guards/ Additional Commandant General – Chairman. 2. Senior Staff Officer or Equivalent post - Member. 3. Divisional Commandant or Equivalent- Member. (nominated by Director General) 4. Junior Staff Officer or Equivalent.-Member.
	(2) Assistant Sub-Inspector and equivalent	Platoon Commander and equivalent post	5 Years	--do--	--do--
	(3) Havaldar Instructor and equivalent post	Assistant Sub-Inspector	5 Years	--do--	--do--
	(4) Constable and Equivalent post	Havaldar Instructor and equivalent post	5 Years	--do--	--do--
	i) Constable Bugler	--do--	5 Years	--do--	--do--
	ii) Constable Washerman	--do--	5 Years	--do--	--do--
	iii) Constable Barber	--do--	5 years	--do--	--do--
	iv) Constable Tailor	--do--	5 years	--do--	--do--
	v) Constable Cobbler	--do--	5 years	--do--	--do--
	(5) Class Four Service	Constable and equivalent post	5 years	--do--	--do--

NOTE - (1) If there is no member in the Departmental Promotion Committee who represents Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the Committee, other than the Chairman, in such case an officer of Scheduled Castes/Scheduled Tribes shall be included in the Committee as a member of Committee and the membership of the Promotion Committee shall be extended.

(2) For conducting Trade Test for Trade Constable, an employee well conversant with the Trade job shall be nominated a member by the Chairman.

SCHEDULE- VI

[See sub-rule (7) of rule 6]

(Physical Proficiency Test for the post of Platoon Commander)

Sl. No.	Event Male Candidate	Marks	Event Female Candidate	Marks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Long Jump (Three Attempts)	20	Long Jump (Three Attempts)	20
	Less than 14 Feet. (4.27Meter)	00	Less Than 10 Feet (3.05 Meter)	00
	14 Feet. (4.27 Meter)	04	10 Feet (3.05 Meter)	04
	16 Feet (4.88 Meter)	08	12 Feet (3.66 Meter)	08
	17 Feet (5.08 Meter)	12	13 Feet (3.96 Meter)	12
	18 Feet (5.49 Meter)	16	14 Feet (4.27 Meter)	16
	19 Feet (5.79 Meter) or More	20	15 Feet (4.57 Meter) or More	20
B.	High Jump (Three Attempts)	20	High Jump (Three Attempts)	20
	Less than 4 Feet 02Inches (1.27 Meter)	00	Less Than 3 Feet 02 Inches (0.97 Meter)	00
	4 Feet 02 Inches (1.27 Meter)	04	3 Feet. 02 Inches (0.97 Meter)	04
	4 Feet. 04 Inches (1.32 Meter)	08	3 Feet. 04 Inches (1.02 Meter)	08
	4 Feet. 06 Inches (1.37 Meter)	12	3 Feet. 06 Inches (1.07 Meter)	12
	4 Feet. 08 Inches (1.42 Meter)	16	3 Feet. 08 Inches (1.12 Meter)	16
	4 Feet. 10 Inches (1.47 Meter) or More	20	3 Feet. 10 Inches (1.17 Meter) or More	20
C.	Shot Put (Three Attempts) Weight 16 Pounds	20	Shot Put (Three Attempts) Weight 8 Pounds	20
	less Than 5 Meter	00	less Than 5 Meter	00
	5 Meter	04	5 Meter	04
	6 Meter	08	6 Meter	08
	7 Meter	12	7 Meter	12
	8 Meter	16	8 Meter	16
	9 Meter or more	20	9 Meter More	20
D.	Race 100 Meter (One Attempt)	20	Race 100 Meter (One Attempt)	20
	12 Seconds or less	20	14 Seconds or Less	20
	13 Seconds	16	15 Seconds	16
	14 Seconds	12	16 Seconds	12
	15 Seconds	08	17 Seconds	08
	16 Seconds	04	18 Seconds	04
	More than 16 Seconds	00	More Than 18 Seconds	00
E.	Race1500 Meter (One Attempt)	20	Race1500 Meter (One Attempt)	20
	5 Minutes or less	20	6 Minutes or less	20
	5 Minutes 10 Seconds	16	6 Minutes 10 Seconds	16
	5 Minutes 20 Seconds	12	6 Minutes 20 Seconds	12
	5 Minutes 30 Seconds	08	6 Minutes 30 Seconds	08
	5 Minutes 40 Seconds	04	6 Minutes 40 Seconds	04
	More than 5 Minutes 40 Seconds	00	More than 6 Minutes 40 Seconds	00

SCHEDULE - VI

[See sub-rule (7) of rule 6]

(Physical Proficiency Test for the post of Havaldar Instructor and Constable)

S. No.	Event Male Candidate	Marks	Event Female Candidate	Marks
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Long Jump (One Attempt)	20	Long Jump (One Attempt)	20
	Less than 14 Feet. (3.66 Meter)	00	Less Than 10 Feet. (3.05 Meter)	00
	14 Feet. (4.27 Meter)	04	10 Feet. (3.05 Meter)	04
	16 Feet. (4.88 Meter)	08	12 Feet. (3.66 Meter)	08
	17 Feet. (5.18 Meter)	12	13 Feet. (3.96 Meter)	12
	18 Feet. (5.49)	16	14 Feet. (4.27 Meter)	16
	19 Feet. (5.79 Meter) or More	20	15 Feet. (4.57 Meter) or More	20
B.	High Jump (One Attempt)	20	High Jump (One Attempt)	20
	Less than 4 Feet 02 Inches (1.27 Meter)	00	Less Than 3 Feet 02 Inches (0.97 Meter)	00
	4 Feet. 02 Inches (1.27 Meter)	04	3 Feet. 02 Inches (0.97 Meter)	04
	4 Feet. 04 Inches (1.32 Meter)	08	3 Feet. 04 Inches (1.02 Meter)	08
	4 Feet. 06 Inches (1.37 Meter)	12	3 Feet. 06 Inches (1.07 Meter)	12
	4 Feet. 08 Inches (1.42 Meter)	16	3 Feet. 08 Inches (1.12 Meter)	16
	4 Feet 10 Inches (1.47 Meter) or More	20	3 Feet. 10 Inches (1.17 Meter) or More	20
C.	Shot Put (One Attempt) Weight 16 Pounds	20	Shot Put (One Attempt) Weight 08 Pounds	20
	less Than 5 Meter	00	less Than 5 Meter	00
	5 Meter	04	5 Meter	04
	6 Meter	08	6 Meter	08
	7 Meter	12	7 Meter	12
	8 Meter	16	8 Meter	16
	9 Meter or more	20	9 Meter More	20
D.	Race 100 Meter (One Attempt)	20	Race 100 Meter (One Attempt)	20
	12 Seconds or less	20	14 Seconds or Less	20
	13 Seconds	16	15 Seconds	16
	14 Seconds	12	16 Seconds	12
	15 Seconds	08	17 Seconds	08
	16 Seconds	04	18 Seconds	04
	More than 16 Seconds	00	More Than 18 Seconds	00
E.	Race 800 Meter (One Attempt)	20	Race 800 Meter (One Attempt)	20
	2 Minutes. or less	20	2 Minutes 30 Seconds or less	20
	2 Minutes 15 Seconds	16	2 Minutes 45 Seconds	16
	2 Minutes 30 Seconds	12	3 Minutes	12
	2 Minutes 45 Seconds	08	3 Minutes 15 Seconds	08
	3 Minutes	04	3 Minutes 30 Seconds	04
	More than 3 Minutes	00	More than 3 Minutes 30 Seconds	00."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

L. S. KEN, Joint Secretary

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.